[2018] 4 एस. सी. आर 779

मेसर्स यूरेका बिल्डर्स एंड ओआरएस।

वी.

गुलाफंद एस/ओ वेलजी और सिंह द्वारा निर्णय लिया गया

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. ईटीसी, ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 4757-4760 2018 का)

3 मई, 2018

[आर. के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे.]

कर्नाटक ग्राम उन्मूलन अधिनियम, 1961: राज्य द्वारा मूल धारकों के पक्ष में संपत्ति का अनुदान और संपत्ति का पुनः अनुदान

तथ्यों पर, अपीलकर्ता वाद भूमि में मूल धारकों के अधिकार, स्वामित्व और हित को प्रमाणित करने में विफल रहे, जिनके माध्यम से वे वाद भूमि में हित प्राप्त करने का दावा करते हैं, जबकि प्रतिवादी वाद भूमि में अपने वर्तमान अधिकार, स्वामित्व और हित को साबित करने में सक्षम था-मूल धारकों ने मुकदमा भूमि के साथ भाग लिया, एक 1942 में अदालत की नीलामी कार्यवाही के माध्यम से और दूसरा 1943 में खरीदार के पक्ष में प्रत्यक्ष बिक्री/खरीद द्वारा-इसके अलावा, हालांकि मूल

धारकों को पुनः अनुदान द्वारा भूमि वापस मिल गई, लेकिन उन्होंने 12 साल की समाप्ति पर सूट भूमि में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और ब्याज खो दिए।

1985 में उनके पक्ष में पुनः अनुदान की तारीख (पुनः अनुदान को वैध मानते हुए)-अपने दो मुकदमों को खारिज करने के कारण उन्होंने फिर से अपने स्वामित्व अधिकार खो दिए-इसके मद्देनजर, अपीलकर्ताओं को वाद भूमि में किसी भी हित का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि न तो मूल धारकों और न ही अपीलकर्ताओं, जिन्होंने मूल धारकों के माध्यम से दावा किया था, को वाद भूमि में किसी भी हित का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था-महाराष्ट्र वंशानुगत कार्यालय अधिनियम।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति कर सकता है

केवल किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी ठोस 779 [2018] 4 एस. सी. आर. में अधिकार, शीर्षक या ब्याज हस्तांतरित करें।

वह संपत्ति जो उसके पास है, उसे प्रतिफल के लिए या अन्यथा हस्तांतरित करने के लिए। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के पास किसी भी मूर्त संपत्ति में जो भी ब्याज है, वह केवल उसी ब्याज को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है और कोई अन्य ब्याज नहीं, जो उसके पास स्वयं मूर्त संपत्ति में नहीं है। इसलिए एक बार

मुक़दमा दायर करने की तारीख को मुक़दमे में उसका वर्तमान अधिकार, स्वामित्व और हित, जिसमें से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं। द. इसलिए, अपीलार्थियों को वाद भूमि में किसी भी हित का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। [पैरा 40-42,39] [790-सी-ई; 790-ए-बी]

1.2 अपीलार्थी साबित करने में विफल रहने के कारण

मूल धारकों का वर्तमान अधिकार, स्वामित्व और ब्याज (इच्छुक विक्रेता-सूट भूमि में तीन प्रतिशत) से अधिक हैं।

एक. सबसे पहले, मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) ने मुकदमे की भूमि के संबंध में दो मुकदमे दायर किए थे, जिसमें उन्होंने अपने स्वामित्व अधिकारों का दावा किया था। मुकदमे पर वर्तमान वादी और एस. वी. के अन्य सदस्यों के खिलाफ भूमि, लेकिन दोनों मुकदमों को सिविल कोर्ट द्वारा 23.11.2004 पर खारिज कर दिया गया था। इन बर्खास्तगी ने इस तथ्य की परवाह किए बिना अंतिमता प्राप्त की कि उन्हें किस आधार पर बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा। ये

बर्खास्तगी मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल) पर बाध्यकारी थी। इसलिए, ये बर्खास्तगी अपीलार्थियों पर भी बाध्यकारी हैं क्योंकि अपीलार्थी मूल धारकों (तीन) के माध्यम से दावा कर रहे थे।

पाटिल)। यही कारण है कि मूल मालिकों के पास वाद भूमि में कोई निर्वाह अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं था, जो उनके पास हो सकता था या/और वे अपीलार्थियों को उस तारीख को हस्तांतरित करने में सक्षम थे जब उन्होंने 23.03.2001 पर अपीलार्थियों को वाद भूमि की बिक्री का समझौता किया था। दूसरा, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) ने बहुत पहले हस्तांतरण के कानूनी तरीके से मुकदमा भूमि के साथ भाग लिया था, एक 1942 मैसर्स यूरेका बिल्डर्स बनाम में अदालत की नीलामी कार्यवाही के माध्यम से।

गुलाबचंद एस/ओ वेलजी

DAND

और दूसरा एस. वी. के पक्ष में 14.05.1943 पर सीधी बिक्री/खरीद द्वारा। इन अधिकारों को तब एस. वी. की मृत्यु के परिणामस्वरूप विरासत द्वारा उनके कानूनी प्रतिनिधियों को हस्तांतरित किया गया था। तब से, मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के पास सूट भूमि में कोई निर्वाह अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं था। [पैरा 46-51] [791-A-F]

1.3 यह भी विवादित नहीं किया जा सकता है कि सिविल कोर्ट ने पहले ही कानूनी के अधिकारों, अधिकार और हित को मान्यता दे दी थी।

ओ. एस. सं. 9/1969 में मुकदमा भूमि में एस. वी. के प्रतिनिधियों ने खरीदार-सोसायटी के खिलाफ दायर किया। यह मुकदमा एस. वी. के कानूनी प्रतिनिधि के पक्ष में 26.08.1977 पर फैसला सुनाया गया था और इस न्यायालय तक बरकरार रहा। इन कारणों से भी, सूट भूमि में मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त हो गए। [पैरा 52-53] [791-G-H; 792-A] 1.4 तर्क के लिए यह मानते हुए कि मूल के पक्ष में राज्य द्वारा दिए गए पुनः अनुदान आदेशों के परिणामस्वरूप

धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.), सूट भूमि में अधिकार, स्वामित्व और हित 1973 में फिर से उन्हें वापस कर दिए गए, लेकिन वे लंबे समय तक सूट भूमि पर अपने स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहे, इसलिए उनका स्वामित्व का अधिकार समाप्त हो गया। पुनः अनुदान आदेश के 31 वर्षों के बाद ही मूल धारक नींद से जाग गए और सिविल कोर्ट में वादी और एस. वी. के अन्य सदस्यों के खिलाफ दो मुकदमे दायर किए। दोनों दीवानी मुकदमों को भी 23.11.2004 पर दीवानी अदालत से खारिज कर दिया गया और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। [पैरा 58-59] [792-E-G]

1.5 जो भी तथाकथित अधिकार, स्वामित्व और ब्याज जो मूल धारकों को 1973 में पुनः अनुदान के आदेशों से प्राप्त हुए।

उनके पक्ष में सूट संपत्ति, वह समय के प्रवाह से बुझ गई। इसका कारण यह था कि ऐसे नए अधिकारों को अक्षुण्ण और प्रवर्तनीय बनाए रखने के लिए, मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) पर कानूनी दायित्व था कि उन्होंने वाद भूमि की घोषणा और कब्जे का दावा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया हो और यह उनके द्वारा पुनः अनुदान की तारीख, यानी 1973 से 12 वर्षों के भीतर किया जाना चाहिए था। हालाँकि, वे 12 वर्षों के भीतर ऐसा करने में विफल रहे और जब उन्होंने वास्तव में मुकदमा दायर करके अपने अधिकारों का प्रयोग करने की कोशिश की।

2004 (31 वर्षों के बाद), तब तक इस तरह के अधिकारों का प्रयोग करने में बहुत देर हो चुकी थी। उस समय तक सूट की जमीन पर उनका अधिकार था बुझा दिया। [पैरा 60-62] [792-जी-एच; 793-ए-बी] [2018] 4 एस. सी. आर.

1.6 सीमा अधिनियम की धारा 27 से संबंधित है -

संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अधिनियम में निर्धारित अवधि का निर्धारण

किसी संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। अनुसूची के अनुच्छेद 64 और 65 किसी भी अचल संपत्ति के कब्जे का दावा करने के लिए मुकदमा दायर करने के लिए 12 वर्ष की अवधि प्रदान करें। इन दो अनुच्छेदों में निर्धारित 12 वर्षों की अवधि को "बेदखल करने की तारीख" (अनुच्छेद 64) और "जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के लिए प्रतिकूल हो जाता है" (अनुच्छेद 65) से गिना जाना आवश्यक है। [पैरा 63] [793-सी-डी]

1.7 मूल धारक वादी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने में विफल रहे, जिसमें दावा किया गया था कि मुकदमे की जमीन पर अधिकार है। पुनः अनुदान की तारीख से 12 वर्षों के भीतर, उनके नए शीर्षक, अर्थात् वाद भूमि के संबंध में पुनः अनुदान, और इसलिए, धारा 27 के आधार पर, वाद भूमि में उनके सभी अधिकार, स्वामित्व और ब्याज समाप्त हो गए। [पैरा 64] [793-डी-ई]

1.8 न तो मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) और न ही अपीलकर्ता राज्य द्वारा किए गए पुनर्-अनुदान दिनांक (आई. डी. 2) और (आई. डी. 1) के आदेशों का कोई लाभ ले सकते थे ताकि एस. वी. (वादी) के कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमे की भूमि में उनके अधिकारों, स्वामित्व और ब्याज से वंचित किया जा सके, जिसे उन्होंने कानूनी रूप से अधिग्रहित किया था।

1942 में अदालती नीलामी और 1942 में मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) से 14.05.1943 पर मुकदमे के हिस्से की सीधी खरीद। 43. वैकल्पिक रूप से वादी को कानून के संचालन द्वारा मूल धारकों के खिलाफ अधिकार प्राप्त करने के लिए माना जा सकता है। कारण खोजना दूर की बात नहीं है। [पैरा 65,68] [793-एफ; 794-ए]

1.9 वादी पहले एस. वी. के माध्यम से और अपनी मृत्यु के बाद अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से 1942/1943 के बाद से मुकदमे की भूमि के वैध कब्जे में बना रहा। यह विवादित नहीं है कि मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) सूट भूमि पर एस. वी. के स्वामित्व अधिकारों के बारे में जानते थे क्योंकि एस. वी. को राज्य नीलामी कार्यवाही द्वारा सूट भूमि मिली थी और प्रत्यक्ष बिक्री द्वारा भी। पुर्काहस। यह साबित हो गया कि सूट भूमि पर एस. वी. का कब्जा 1942 से 2004 तक पूरे विश्व के ज्ञान के लिए स्वामित्व के दावे के साथ लंबे, निरंतर, निर्बाध, खुले और शांतिपूर्ण था। तथ्य स्वामित्व की पुष्टि करते हैं

मैसर्स यूरेका बिल्डर्स बनाम के खिलाफ वाद भूमि में वादी के अधिकार, अधिकार और हित।

कानून के संचालन द्वारा मूल धारकों सहित सभी। [पैरा

69-71] [794 - बी-डी]

1.10 एक बार कानून के संचालन से समाप्त हो जाने के बाद संपत्ति में एक अधिकार, इसे तब तक पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून स्वयं इसके लिए प्रावधान नहीं करता है।

किसी विशेष स्थिति में पुनरुत्थान। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हालाँकि, अपीलार्थियों के मामले में एक और दुर्बलता है, जो उन्हें वाद भूमि के संबंध में किसी भी राहत का दावा करने के लिए अयोग्य बनाती है। अपीलकर्ताओं ने वाद भूमि में मूल धारकों के स्वामित्व के अधिकार को साबित करने के लिए, राज्य के दिनांकित 31.03.1973 और 01.04.1973 आदेशों पर भरोसा रखा है, जिसके द्वारा राज्य पर मूल धारकों (तीन PATIL) के पक्ष में वाद भूमि का पुनः अनुदान देने का आरोप है। [पैरा 75-77] [794-G-H; 795-A]

1.11 सक्षम न्यायालय द्वारा इन दो आदेशों के बल पर मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के स्वामित्व के अधिकार के किसी भी निर्णय के अभाव में, विशेष रूप से वाद भूमि में रुचि रखने वाले अन्य हितधारकों के खिलाफ और

एस. वी. के कानूनी प्रतिनिधियों के लिए, इन कार्यवाहियों में मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के पक्ष में इन दो आदेशों का कोई लाभ देना संभव नहीं है। इसके अलावा, वाद भूमि के खरीदारों के अधिकारों, स्वामित्व और हित पर दो आदेशों के पारित होने का क्या प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि वाद भूमि इन दो आदेशों के पारित होने से पहले खरीदार (स्वर्गीय एस. वी.) को बेच दी गई थी और क्या ये आदेश वास्तव में वाद भूमि में खरीदारों को उनके अधिकारों, स्वामित्व और ब्याज से वंचित कर देंगे, ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को अवसर देने के बाद सक्षम न्यायालय द्वारा इस पर विचार करने की आवश्यकता थी। [पैरा 78-79] [795-B-D]

1.12 हालांकि मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) ने प्रभावित लोगों के खिलाफ इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए दीवानी मुकदमे दायर किए।

व्यक्ति लेकिन इन मुद्दों पर निर्णय लेने के अपने प्रयास में विफल रहे। दूसरे शब्दों में, जब तक मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) ने दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तब तक समय के प्रवाह (31 वर्ष) के कारण वाद भूमि में ही उनके सभी अधिकार समाप्त हो गए। अतः, अपीलार्थियों के पास कोई मामला नहीं है। [पैरा 80,81] [795-ई-एफ] 1.13 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न तो मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) और न ही मूल धारकों के माध्यम से दावा करने वाले अपीलार्थियों को वाद भूमि में किसी भी हित का दावा करने का कोई अधिकार है। [पैरा 82] [795-एफ-जी] [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4757

4760 2018 से।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ के नियमित प्रथम अपील सं. 1 के निर्णय और आदेश से। 100017 ,

100018 , 100016 & 100099 2015 का (पी. ए. आर. और पी. ओ. एस.)।

शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आर. एस. हेगड़े, प्रकाश जवालकर, सुश्री फरहत जहां रहमानी, चंद्र प्रकाश, अभिकल्प प्रताप सिंह, राजीव सिंह, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, प्रतीक रूसिया, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

बसव प्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वसंत रॉन, बालाजी श्रीनिवासन, सी. एम. पूनाचा, सुश्री वैष्णवी सुब्रमण्यम, सुश्री प्रतिकशा मिश्रा,

सुश्री अनिंदिता श्रीनिवासन, जी. वी. चंद्रशेखर, एन. के. वर्मा, सुश्री अंजना चंद्रशेखर, रणबीर सिंह यादव, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, वेंकट सुब्रमण्यम टी. आर., राहत बंसल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच द्वारा पारित सामान्य अंतिम निर्णय और दिनांक 30.09.2015 आदेश से उत्पन्न होती हैं।

3. इन अपीलों में शामिल मुद्दों की सराहना करने के लिए, पृष्ठभूमि तथ्यों को निर्धारित करना आवश्यक है, जिसके कारण मुकदमा दायर किया गया उत्तरदाता Nos.1 और 2 के पूर्ववर्ती-इन-शीर्षक द्वारा और अब उत्तरदाता संख्या द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। 1 और 2 अपीलार्थियों और शेष उत्तरदाताओं के विरुद्ध संख्या 3 से 34 जिसमें से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं।

4. इस मामले में मुकदमेबाजी का इतिहास रहा है क्योंकि यह नीचे बताए गए तथ्यों के वर्णन से स्पष्ट होगा। उल्लिखित तथ्य

नीचे एस. एल. पी. पेपर बुक और इसकी तिथियों की सूची से लिया गया है।

मेसर्स यूरेका बिल्डर्स बनाम। गुलाबचंद एस/ओ वेलजी दंड [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

5. यहाँ अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या हैं। 18 25 (जो बिल्डर, फर्म और उसके भागीदार हैं) जबकि प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 मूल वादी और प्रतिवादी संख्या के कानूनी प्रतिनिधि हैं। 3 34 तक एक दीवानी मुकदमे (ओ. एस. No.37/2010) में प्रतिवादी हैं जिनमें से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं। इन अपीलों में प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रूप से इनके बीच है

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं। 1 और 2.

6. यह विवाद सी. टी. एस. संख्या वाली भूमि से संबंधित है। 361 और सी. टी. एस. वार्ड संख्या 1 के 366 (मूल रूप से आर. एस. संख्या वाले)। 20 / 1 / & 20/2 कुसुगल रोड, केशवापुर, हुबली में स्थित क्रमशः 3 एकड़ 20 गुंटा और 1 एकड़ 25 गुंटा को मापते हुए, वादी की अनुसूची में विस्तार से वर्णित किया गया है (जिसे इसके बाद "वाद भूमि" के रूप में संदर्भित किया गया है)। 7. सूट भूमि महाराष्ट्र वंशानुगत कार्यालय अधिनियम (इसके बाद "एम. एच. ओ. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत एक "वतन" संपत्ति थी और 1961 में इसके निरसन पर, कर्नाटक ग्राम उन्मूलन अधिनियम, 1961 (इसके बाद "के. वी. ए. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित थी।

8. सूट की जमीन मूल रूप से तीन व्यक्तियों, मारिगौड़ा पाटिल, बसनगौड़ा पाटिल और अद्वेपगौड़ा पाटिल (इसके बाद "तीन पटेल" के रूप में संदर्भित) की थी।

9. आई. डी. 1 पर, तीन पी. ए. टी. आई. एल. ने सी. टी. एस. संख्या 366 (3 एकड़ 20 गुंटा) वाली भूमि एक चतुर्भुज रतनसी को 50 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दी, जबकि सी. टी. एस. संख्या 361 (1 एकड़ 25 गुंटा) वाली भूमि स्थायी रूप से एक कांजी घेलाभाई शेत उर्फ गुर्जर को आई. डी. 2 पर पट्टे पर दी गई। 10. 1942 में सी. टी. एस. वाली जमीन अदालत की नीलामी की कार्यवाही में बेची गई और शाह वेलजी कांजी नाम के एक व्यक्ति को खरीदा गया।

11 14.05.1943 पर, शाह वेलजी कांजी ने सीधे बिक्री/खरीद द्वारा सी. टी. एस. No.366 वाली भूमि का एक और पार्सल खरीदा। शाह वेलजी कांजी ने अपने पीछे अपनी विधवा-गुणवंतीबाई, दो बड़ी बेटियाँ और चार नाबालिग बेटों को छोड़ दिया। विरासत में, कानूनी प्रतिनिधियों ने उनके स्थान पर कदम रखा और सूट भूमि के संयुक्त मालिक बन गए। 12. आई. डी. 1 पर स्वर्गीय शाह वेलजी कांजी की विधवा और 2 बड़ी बेटियों ने सूट की जमीन गडग के एक सहकारी कपास विक्रेता को बेच दी।

सोसायटी लिमिटेड-प्रतिवादी संख्या 17 (इसके बाद "सोसायटी" के रूप में संदर्भित)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. स्वर्गीय शाह वेलजी कांजी का पुत्र, जो वादी है (मृत होने के बाद से) और प्रतिवादी संख्या। 1 4 को वर्तमान वाद में, जिसमें से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं, उनकी माँ और दो बहनों द्वारा सोसायटी के पक्ष में की गई दिनांकित बिक्री से व्यथित महसूस किया गया और तदनुसार ओ. एस. संख्या 9/1969 के रूप में दीवानी मुकदमा दायर किया गया, जिसमें इस घोषणा के लिए प्रार्थना की गई कि उनकी माँ और दो बहनों द्वारा की गई बिक्री कानून की दृष्टि से खराब है और समाज के लिए अमान्य है।

थ.

वाद भूमि में वादी के हिस्से की सीमा (5/8 ")। माँ, दो बहनों और सोसायटी ने प्रतिवादी के रूप में मुकदमा लड़ा। 14. हालाँकि, इस मुकदमे को प्रधान सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) द्वारा वादी के पक्ष में 26.08.1977 पर फैसला सुनाया गया था। यह माना गया था कि बिक्री

वादी की माँ और दो बहनों द्वारा सोसायटी के पक्ष में किया गया कार्य अवैध है और इस प्रकार वादी पर वाद भूमि में उसके 5/8 हिस्से की सीमा तक बाध्यकारी नहीं है।

15. इस आदेश को खरीदार (सोसायटी) द्वारा उच्च न्यायालय में और बाद में इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, सोसायटी इस न्यायालय तक की पूरी कानूनी लड़ाई हार गई और इसके परिणामस्वरूप, प्रधान सिविल न्यायाधीश (सीनियर सिविल जज) द्वारा पारित 26.08.1977 का डिक्री पारित किया गया।

वादी के पक्ष में विभाजन) अंतिम हो गया।

16. इस डिक्री के निष्पादन में, वादी और प्रतिवादी सं। 1 4 , स्वर्गीय शाह वेलजी कांजी के कानूनी प्रतिनिधि कौन थे

तदनुसार सूट भूमि में उनके शेयरों के संयुक्त कब्जे में रखा गया।

कुछ नियमों और शर्तों पर सूट भूमि की खरीद के लिए 23.03.2001 पर मूल मालिकों (तीन PATIL) के साथ। 18. वर्ष 2004 में, सूट भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा करने वाले मूल मालिकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) ने ओ. एस. के रूप में दो दीवानी मुकदमे दायर किए।

शाह वेलजी कांजी और सोसायटी के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ 2004 का Nos.364 और 365। दीवानी अदालत ने इन दोनों दीवानी मुकदमों को खारिज कर दिया जैसा कि 29.01.2007 दिनांकित निर्णय के माध्यम से समय द्वारा वर्जित है। दोनों बर्खास्तगी को अंतिम रूप दिया गया क्योंकि तीनों पी. ए. टी. आई. एल. ने उच्च न्यायालयों में अपील में मामले को आगे नहीं बढ़ाया।

19. अंतराल अवधि के दौरान, कई दौर थे

पक्षकारों और उनके प्रतिनिधियों के बीच दीवानी, राजस्व और किराया अदालतों में मुकदमेबाजी। इसी तरह वाद भूमि के संबंध में राज्य द्वारा पक्षकारों को कुछ अधिकार प्रदान करने वाले कुछ बाद के घटनाक्रमों ने भी मैसर्स यूरेका बिल्डर्स बनाम को लिया।

जगह। हालाँकि, इस स्तर पर, इस मुकदमेबाजी और इसके विकास का विवरण देना आवश्यक नहीं है। इन प्रस्तुतियों से निपटने के दौरान बाद के चरण में इसका उल्लेख किया जाएगा।

20. यह मूल रूप से उपरोक्त पृष्ठभूमि तथ्यों के साथ है, शाह वेलजी कांजी का एक बेटा (इसमें प्रतिवादी संख्या 1 (मृत होने के बाद से) और

उनके कानूनी प्रतिनिधियों के बेटे/बेटी द्वारा प्रतिवादी संख्या के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया। 1 और 2 ने हुबली में प्रधान सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन के न्यायालय में 23.02.2010 पर दीवानी मुकदमा (O.S.No.37/2010) दायर किया, जिसमें से ये अपीलें 27 प्रतिवादियों के खिलाफ उठती हैं, जिनमें शाह वेलजी कांजी परिवार के सदस्य, उनके कानूनी उत्तराधिकारी, मूल धारकों के कानूनी प्रतिनिधि (तीन PATIL) और सूट भूमि के दो इच्छुक खरीदार/खरीदार, अर्थात् सोसायटी और दूसरा, मैसर्स यूरेका बिल्डर्स-एक फर्म और उनके भागीदार (यहाँ अपीलकर्ता) शामिल हैं। 21. मुकदमा विभाजन और वाद भूमि में वादी के 1/5 वें हिस्से के अलग कब्जे और स्थायी अनुदान के लिए भी दायर किया गया था।

वाद भूमि के दो इच्छुक खरीदारों/खरीदारों को वाद भूमि पर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकना। 22. सारतः, वादी (प्रत्यर्थी सं। 1 और 2 यहाँ) ने अपने शीर्षक के आधार पर उपरोक्त राहतों का दावा किया था

मुकदमा भूमि, जिसे उनके अनुसार, पहले से ही सिविल कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में निर्णय दिया गया था और मान्यता दी गई थी, दिनांक 26.08.1977 पारित निर्णय के माध्यम से

ओ. एस. सं. 9/1969 में और यह इस न्यायालय तक बरकरार रहता है।

23. जहाँ तक शाह वेलजी कांजी के परिवार के अन्य सदस्यों की बात है

24. इस मुकदमे का मुख्य रूप से अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा विरोध किया गया था। बिल्डर (प्रतिवादी नं. 18) कई आधारों पर, जैसे कि, पहला, मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि वादी द्वारा उचित राहत का दावा नहीं किया गया था; दूसरा, मुकदमे की संपत्ति का उचित मूल्य नहीं है; तीसरा, शिकायत पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगी है; चौथा, मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है। 25. जहाँ तक दावे के गुण-दोषों का संबंध है, अपीलकर्ता संख्या 1 (प्रतिवादी No.18) ने वाद भूमि पर वादी के स्वामित्व से इनकार किया और अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि वाद भूमि के मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) जिनके साथ उन्होंने वाद भूमि खरीदने का समझौता किया था, उन्हें राज्य द्वारा अपने [2018] 4 एस. सी. आर. में किए गए दो पुनः अनुदान आदेशों (31.03.1973 और 01.04.1973) के आधार पर वाद भूमि में निर्वाह अधिकार, स्वामित्व और ब्याज प्राप्त था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल के आवेदन पर 1961 के केवीए अधिनियम के तहत पक्ष

धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) और इसलिए, मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) 23.03.2001 पर अपने पक्ष में वाद भूमि हस्तांतरित करने के लिए एक समझौता करने में सक्षम थे।

26. यह भी माना गया कि वाद भूमि में जो भी स्वामित्व अधिकार वादी और प्रतिवादी के पास थे

मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के पक्ष में राज्य द्वारा किए गए दो पुनः अनुदान आदेशों (आई. डी. 2 और आई. डी 1) के कारण उनका पक्ष समाप्त हो गया और इसलिए, इन बाद की घटनाओं के प्रकाश में जो अस्तित्व में आईं, अब वादी और प्रतिवादी संख्या के पक्ष में कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। 1 4 अपने अधिकार के बल पर किसी भी राहत के लिए सूट भूमि के संबंध में।

27. मुद्दों को तैयार किया गया और पक्षों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। 07.11.2014 दिनांकित निर्णय/डिक्री द्वारा, III अतिरिक्त। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, हुबली ने वादी के मुकदमे का आंशिक रूप से फैसला सुनाया और वादी के पक्ष में वाद भूमि के संबंध में विभाजन और अलग कब्जे का प्रारंभिक आदेश पारित किया जैसा कि मुकदमे में अनुरोध किया गया था।

28. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने वादी के पक्ष में लगभग सभी मुद्दों का जवाब दिया और कहा कि वादी 1/5 के लिए हकदार है। वाद अनुसूचित संपत्ति के संबंध में पट्टा अधिकार में हिस्सेदारी और इसलिए प्रतिवादी संख्या। 1 (क) से (ग) तक, 2 और 4 वाद भूमि के संबंध में पट्टाधारिता अधिकारों में अपने पांचवें हिस्से का दावा करने के हकदार हैं।

वादी।

29. वादी, प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि संख्या। 2 , 3 और 4 और प्रतिवादी संख्या 17-सोसायटी ने कुछ निष्कर्षों से व्यथित महसूस किया वाद भूमि में वादी के स्वामित्व की स्थिति के बारे में और तदनुसार बैंगलोर में उच्च न्यायालय में चार अलग-अलग पहली अपील दायर की।

31. विवादित निर्णय द्वारा, खंड पीठ ने सभी चार अपीलों का निपटारा कर दिया। उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और तदनुसार वाद भूमि में वादी की स्थिति और स्वामित्व अधिकारों के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को संशोधित किया और अभिनिर्धारित किया कि वादी वाद भूमि का मालिक है और इसलिए, प्रतिवादियों के साथ वाद भूमि में अपने पांचवें हिस्से का दावा करने का हकदार है, जो हैं -

वादी की तरह स्वर्गीय शाह वेलजी कांजी के कानूनी प्रतिनिधि।

मेसर्स यूरेका बिल्डर्स बनाम। गुलाबचंद एस/ओ वेलजी दंड [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

32. यह उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ है, जिसमें अपीलार्थी (प्रतिवादी संख्या। 18 25 तक-जो बिल्डर, फर्म और उसके भागीदार हैं) ने व्यथित महसूस किया है और इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।

34. पक्षकारों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, हम अपने तर्क के आधार को निर्दिष्ट करके उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए इच्छुक हैं। 35. शुरुआत में, हम देखते हैं कि जहाँ तक वाद भूमि में अपीलार्थियों के अधिकार, स्वामित्व और हित का संबंध है, अपीलार्थी

न तो दावा करते हैं और न ही उन्हें अपने अधिकारों में वाद भूमि में किसी भी अधिकार, स्वामित्व और हित का दावा करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, इस मुकदमे में अपीलकर्ताओं की स्थिति सूट भूमि (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के मूल धारकों से सूट भूमि के इच्छुक खरीदारों की है।

36. हमारे विचार में, यदि मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) मुकदमे पर अपने वर्तमान अधिकार, स्वामित्व और हित को साबित करने में सक्षम हैं, तो उनके खिलाफ मामला दायर किया जाता है।

वादी, अपीलार्थी मुकदमे में राहत प्राप्त करने में सक्षम होंगे क्योंकि वे मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के माध्यम से दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) अपने अस्तित्व को साबित करने में सक्षम नहीं हैं

वादी के खिलाफ मुकदमे पर अधिकार, स्वामित्व और ब्याज, तब अपीलार्थी भी मामले को खो देंगे।

37. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अकेले अपीलार्थी प्रतिवादी No.18 के रूप में मुकदमा लड़ रहा था। यह विवाद में नहीं है कि मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) ने मुकदमा नहीं लड़ा था। यह भी विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री से संतुष्ट था। इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की।

38. यह मामले के इन पृष्ठभूमि तथ्यों के साथ है, हमें इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले प्रश्न की जांच करनी होगी कि क्या प्रत्यर्थी (वादी) मुकदमे पर अपना वर्तमान अधिकार साबित करने में सक्षम था। मुकदमा दायर करने की तारीख और, यदि हां, तो कैसे, या वैकल्पिक रूप से, चाहे [2018] 4 एस. सी. आर.

अपीलार्थी (बिल्डर, फर्म और उसके भागीदार) सूट भूमि पर मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के वर्तमान स्वामित्व को साबित करने में सक्षम थे, यदि हां, तो कैसे।

39. हमारी सुविचारित राय में, अपीलार्थी विफल रहे हैं

वाद भूमि में मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के अधिकार, स्वामित्व और हित की पुष्टि करना, जिनके माध्यम से वे वाद में ब्याज प्राप्त करने का दावा करते हैं।

भूमि, जबकि प्रत्यर्थी (वादी) वाद दायर करने की तारीख को वाद भूमि में अपना वर्तमान अधिकार, स्वामित्व और हित साबित करने में सक्षम रहा है, जिसमें से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए, अपीलार्थियों को वाद भूमि में किसी भी हित का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

40. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति केवल स्थानांतरण कर सकता है।

किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी मूर्त संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित, जो उसके पास है, उसे विचार के लिए या अन्यथा हस्तांतरित करने के लिए।

41. दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति में जो भी रुचि हो

कोई भी मूर्त संपत्ति, वह केवल उस ब्याज को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है और कोई अन्य ब्याज नहीं, जो उसके पास स्वयं नहीं है।

संपत्ति।

42. इसलिए, एक बार जब यह साबित हो जाता है कि किसी भी मूर्त संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख को, संपत्ति के विक्रेता के पास कोई निर्वाह अधिकार, स्वामित्व नहीं था।

या उस पर ब्याज, तो ऐसी संपत्ति के खरीदार को उसके द्वारा विचार के लिए या अन्यथा खरीदी गई संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व और ब्याज नहीं मिलेगा। इस तरह का हस्तांतरण एक अवैध और अमान्य हस्तांतरण होगा।

43. ऐसी स्थिति में और किसी भी नियम और शर्तों के अधीन, यदि पक्षों के बीच सहमति हो जाती है, तो एक खरीदार को अपने विक्रेता से बिक्री के प्रतिफल की वापसी का दावा करने का अधिकार होगा, जिसे उसने खरीद के लिए भुगतान किया था।

अनुबंध के कानून के तहत संपत्ति। इसका कारण यह है कि खरीद का अनुबंध विफल हो गया है और इसलिए, पक्षों को उनके मूल पदों पर वापस लाना होगा, जो खरीद के निष्पादन के समय मौजूद थे।

अनुबंध।

44. कानून का यह सिद्धांत भूमि के मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) और वाद भूमि के इच्छुक खरीदारों के बीच लागू हो सकता है, जिसके साथ हम इस मामले में संबंधित नहीं हैं क्योंकि वर्तमान मुकदमा इन पक्षों के बीच उत्पन्न नहीं होता है और न ही हम इन अपीलों में इन पक्षों के अंतर अधिकारों पर निर्णय ले

रहे हैं। 45. इस सिद्धांत का उल्लेख हमने केवल वाद भूमि के संबंध में एक-दूसरे के खिलाफ पक्षों के अंतर अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए किया है और

विशेष रूप से मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के खिलाफ अपीलार्थियों का अधिकार और इससे परे नहीं।

मेसर्स यूरेका बिल्डर्स बनाम। गुलाबचंद एस/ओ वेलजी दंड [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

46. हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्ता सूट भूमि में मूल धारकों (इच्छुक विक्रेता-तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के वर्तमान अधिकार, स्वामित्व और हित को साबित करने में विफल रहने के कारण एक से अधिक हैं जो हमारे द्वारा नीचे दिए गए हैं। 47. सबसे पहले, मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) ने दो मुकदमे दायर किए थे। 364 और 2004 का 365) वर्तमान वादी और शाह वेलजी कांजी के अन्य सदस्यों के खिलाफ वाद भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा करने वाले वाद भूमि के संबंध में, लेकिन दोनों वाद थे

सिविल कोर्ट द्वारा 23.11.2004 पर खारिज कर दिया गया।

48. इन बर्खास्तगी ने इस तथ्य की परवाह किए बिना अंतिमता प्राप्त की कि

किन आधारों पर उन्हें बर्खास्त किया गया। ये बर्खास्तगी मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) पर बाध्यकारी थी। इसलिए, ये बर्खास्तगी अपीलार्थियों पर भी बाध्यकारी हैं क्योंकि अपीलार्थी मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के माध्यम से दावा कर रहे थे।

49. यही कारण है कि हमारा विचार है कि मूल मालिकों के पास सूट भूमि में कोई निर्वाह अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं था, जो

वे या/और अपीलकर्ताओं को हस्तांतरित करने में सक्षम थे, चाहे वे विचार के लिए हों या अन्यथा उस तारीख को जब उन्होंने 23.03.2001 पर अपीलकर्ताओं को वाद भूमि की बिक्री का समझौता किया था।

50. दूसरा, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) ने हस्तांतरण के कानूनी तरीके से मुकदमा भूमि को बहुत पहले अलग कर दिया था।

1942 में अदालती नीलामी कार्यवाही के माध्यम से और दूसरा शाह वेलजी कांजी के पक्ष में 14.05.1943 पर सीधी बिक्री/खरीद द्वारा।

51. तब से, मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के पास सूट भूमि में कोई निर्वाह अधिकार, स्वामित्व और ब्याज नहीं था क्योंकि जो कुछ भी हो।

सूट भूमि में उनके अधिकार, स्वामित्व और ब्याज जो उनके पास थे, उन्हें 1942 में अदालती नीलामी कार्यवाही के माध्यम से और 14.05.1943 पर सीधी बिक्री/खरीद द्वारा शाह वेलजी कांजी को हस्तांतरित कर दिया गया था। शाह वेलजी कांजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार द्वारा इन अधिकारों को उनके कानूनी प्रतिनिधियों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

ओ. एस. नं. 9/में मुक़दमे में शाह वेलजी कांजी के कानूनी प्रतिनिधि 1969 उनके द्वारा खरीदार-सोसायटी के खिलाफ दायर किया गया। यह मुकदमा शाह वेलजी कांजी के कानूनी प्रतिनिधि के पक्ष में 26.08.1977 पर फैसला सुनाया गया था और इस अदालत तक बरकरार रहा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

53. इन कारणों से भी, सूट भूमि में मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त हो गए।

54. अब श्री शेखर नाफड़े के मुख्य तर्क पर आते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील, जिसे उन्होंने सेवा में दबाया जोश के साथ।

55. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि सूट भूमि (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के मूल धारक 1942 में सूट भूमि से अलग हो गए थे और

14.05.1943 , 1961 के के. वी. ए. अधिनियम के तहत राज्य द्वारा पारित भूमि (सी. टी. एस. संख्या 361) के संबंध में दिनांक 31.03.1973 के आदेश द्वारा और भूमि (सी. टी. एस. संख्या 366) के संबंध में राज्य द्वारा पारित अन्य पुनः अनुदान आदेश द्वारा उनके पक्ष में पुनः अनुदान के माध्यम से वाद भूमि को वापस प्राप्त किया।

56. इसलिए, यह उनका निवेदन था कि इस तरह से, शीर्षक में

इन दो आदेशों की तारीखों से सूट भूमि मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) को वापस कर दी गई थी।

जो प्रतिवादी (वादी) को 1942 में और 14.05.1943 पर मिला होगा। सूट भूमि का अधिग्रहण करते समय, ऊपर उल्लिखित दो आदेशों द्वारा 1973 में मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के पक्ष में राज्य द्वारा किए गए पुनः अनुदान के कारण यह समाप्त हो गया था।

58 हम एक से अधिक कारणों से इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

यह मानते हुए कि मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के पक्ष में राज्य द्वारा दिए गए पुनः अनुदान आदेशों के परिणामस्वरूप, 1973 में सूट भूमि में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज फिर से उन्हें वापस कर दिए गए, लेकिन वे लंबे समय तक सूट भूमि पर अपने स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहे, इसलिए उनका स्वामित्व का अधिकार समाप्त हो गया। 59. पुनः अनुदान आदेश के 31 साल बाद ही मूल धारक नींद से जाग गए और उन्होंने दो मुकदमे दायर किए (ओ. एस. Nos.364 और

365/2004) दीवानी अदालत में वादी और शाह वेलजी कांजी के अन्य सदस्यों के खिलाफ। यह विवाद में नहीं है कि दोनों दीवानी मुकदमों को भी 23.11.2004 पर दीवानी अदालत से खारिज कर दिया गया और उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

60. हमारी सुविचारित राय में, जो भी तथाकथित अधिकार, स्वामित्व और ब्याज मूल धारकों को पुनः अनुदान के आदेशों से प्राप्त हुए हैं।

1973 उनके पक्ष में सूट संपत्ति में, वह समय के प्रवाह से बुझ गई।

61. इसका कारण यह था कि ऐसे नए अधिकारों को अक्षुण्ण और प्रवर्तनीय बनाए रखने के लिए, मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) पर कानूनी दायित्व था कि उन्होंने वाद भूमि की घोषणा और कब्जे का दावा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया हो और यह उनके द्वारा पुनः अनुदान की तारीख, यानी 1973 से 12 वर्षों के भीतर किया जाना चाहिए था।

62. हालाँकि, वे 12 वर्षों के भीतर ऐसा करने में विफल रहे और जब उन्होंने वास्तव में 2004 में (31 के बाद) मुकदमा दायर करके अपने अधिकारों का प्रयोग करने की कोशिश की।

64. जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) वादी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने में विफल रहे, जो मुकदमे पर कब्जा करने का दावा करते हैं। पुनः अनुदान की तारीख से 12 वर्षों के भीतर, सूट भूमि के संबंध में उनके नए अधिकार, अर्थात् पुनः अनुदान की शक्ति और इसलिए, सीमा अधिनियम की धारा 27 के आधार पर, सूट भूमि में उनके सभी अधिकार, स्वामित्व और ब्याज समाप्त हो गए।

65. इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि न तो मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) और न ही अपीलार्थी ऐसा कर सकते हैं।

राज्य द्वारा किए गए दिनांक 31.03.1973 और 01.04.1973 के पुनः अनुदान के आदेशों का कोई भी लाभ उठाएं ताकि शाह वेलजी कांजी (वादी) के कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमे की भूमि में उनके अधिकारों, स्वामित्व और ब्याज से वंचित किया जा सके, जिसे उन्होंने अदालत की नीलामी के माध्यम से कानूनी रूप से अधिग्रहित किया था और 1942/43 में प्रत्यक्ष खरीद की थी।

66. इस मुद्दे की जांच मामले में उत्पन्न होने वाले स्वीकृत तथ्यों की स्थिति पर एक और कानूनी कोण से की जा सकती है।

67. यह विवाद में नहीं है कि शाह वेलजी कांजी ने पहली बार में अदालती नीलामी के माध्यम से मुकदमे की भूमि में कानूनी और वैध अधिकार हासिल किया था।

वर्ष 1942 में कार्यवाही और दूसरा, मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) से 14.05.1943 पर मुकदमे के हिस्से की सीधी खरीद द्वारा।

68. हमारे विचार में, वैकल्पिक रूप से वादी को कानून के संचालन द्वारा मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के खिलाफ अधिकार प्राप्त करने के लिए माना जा सकता है। कारण खोजना दूर की बात नहीं है।

69. मान लीजिए, वादी 1942/1943 के बाद से मुकदमे की भूमि के वैध कब्जे में बना रहा, पहले शाह वेलजी कांजी के माध्यम से और उनकी मृत्यु के बाद उनके कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से। यह विवाद में नहीं है कि मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) सूट भूमि पर शाह वेलजी कांजी के स्वामित्व अधिकारों के बारे में 1942/1943 से जानते थे क्योंकि शाह वेलजी कांजी को सूट भूमि राज्य नीलामी कार्यवाही द्वारा और प्रत्यक्ष बिक्री/पर्चे द्वारा भी मिली थी।

71. उपरोक्त निर्विवाद तथ्य सभी के खिलाफ वाद भूमि में वादी के स्वामित्व अधिकारों, स्वामित्व और हित की पुष्टि करते हैं। कानून के संचालन द्वारा मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.)।

72 .

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर नाफडे ने तब एम. एच. ओ. अधिनियम और के. वी. ए. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया और इसकी प्रकृति की ओर इशारा किया।

राज्य द्वारा धारकों और यह कैसे धारकों आदि पर हस्तांतरित किया गया। 73. हमारे विचार में, इस प्रस्तुति पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऊपर दर्ज किए गए हमारे निष्कर्षों के आलोक में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

अपीलार्थियों के विरुद्ध। 74. दूसरे शब्दों में, एक बार जब सूट भूमि में मूल धारकों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो यह समर्पण जीवित नहीं रहता है।

इसके गुणों पर विचार करें। 75. एक बार कानून के संचालन से समाप्त हो जाने के बाद संपत्ति में एक अधिकार, इसे तब तक पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून स्वयं इसके पुनरुद्धार का प्रावधान नहीं करता है।

विशेष स्थिति। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। 76. हालाँकि, अपीलार्थियों के मामले में एक और दुर्बलता है, जो उन्हें वाद भूमि के संबंध में किसी भी राहत का दावा करने के लिए अयोग्य बनाती है।

77. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं के पास वाद भूमि में मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के स्वामित्व के अधिकार को साबित करने के लिए मैसर्स यूरेका बिल्डर बनाम है।

गुलाबचंद एस/ओ वेलजी दंड [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

राज्य के 2 और 1 दिनांकित दो आदेशों पर भरोसा किया गया जिसके द्वारा राज्य पर मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के पक्ष में वाद भूमि का पुनः अनुदान देने का आरोप है।

78. हमारे विचार में, मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के स्वामित्व के अधिकार के किसी भी निर्णय के अभाव में, इनके बल पर

अन्य हितधारकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा दो आदेश सूट लैंड में रुचि रखने वाले और विशेष रूप से शाह वेलजी कांजी के कानूनी प्रतिनिधियों को मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) के पक्ष में इन दोनों आदेशों का कोई लाभ देना संभव नहीं है।

कार्यवाही। 79. इसके अलावा, दोनों आदेशों के पारित होने का सूट भूमि के खरीदारों के अधिकारों, स्वामित्व और हित पर क्या प्रभाव पड़ता है क्योंकि

मान लीजिए, इन दो आदेशों को पारित करने से पहले मुक़दमे की भूमि खरीदार (स्वर्गीय शाह वेलजी कांजी) को बेच दी गई थी और क्या ये आदेश वास्तव में मुक़दमे की भूमि में खरीदारों को उनके अधिकारों, स्वामित्व और ब्याज से वंचित कर देंगे, ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को एक अवसर प्रदान करने के बाद सक्षम न्यायालय द्वारा जाँच की जानी आवश्यक थी, अर्थात्, कानूनी

स्वर्गीय शाह वेलजी कांजी के प्रतिनिधि।

80. हालांकि मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) ने प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए दीवानी मुकदमे दायर किए लेकिन इसमें विफल रहे।

इन मुद्दों पर निर्णय लेने का उनका प्रयास। दूसरे शब्दों में, उस समय तक

मूल धारकों (तीन पी. ए. टी. आई. एल.) ने सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, वाद भूमि में उनके सभी अधिकार समय के प्रवाह (31 वर्ष) के कारण समाप्त हो गए, जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है।

81. इन कारणों से भी हमारा विचार है कि अपीलार्थियों के पास कोई मामला नहीं है। 82. इसलिए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय अपने तर्क और निष्कर्ष में सही था कि मूल धारक (तीन पी. ए. टी. आई. एल.)

1985 में अपने पक्ष में पुनः अनुदान की तारीख (पुनः अनुदान को वैध मानते हुए) से 12 साल की समाप्ति पर वाद भूमि में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और ब्याज खो देने के बाद और दूसरा, अपने दो मुकदमों (ओ. एस. संख्या) को खारिज करने के कारण उन्होंने फिर से अपने स्वामित्व अधिकार खो दिए। 364 और 2004 का 365) 23.11.2004 पर, न तो मूल धारकों (तीन PATIL) और न ही अपीलकर्ताओं, जिन्होंने मूल धारकों के माध्यम से दावा किया था, को वाद भूमि में किसी भी हित का दावा करने का कोई अधिकार था।

83. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम विचार कर रहे हैं राय है कि इस मामले में शामिल मुद्दों को किसी भी कोण से देखते हुए, इन अपीलों का कोई गुण नहीं है। इस प्रकार अपील विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

निधि जैन